FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0241 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/10/2024 19:38 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 04/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 17:15 बजे **Time To (समय तक):** 11:40 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/10/2024 **Time (समय):** 17:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/10/2024 19:38:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** ATI.MUKHY NYAYIK MAJISTRET, TIBBI DISTRICT HANUMANGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANISH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAJKUMAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MASJID KE PASS,8 GGR, WARD NO.02, TIBBI, TIBBI, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MASJID KE PASS,8 GGR, WARD NO.02, TIBBI, TIBBI, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MOTILAL		पिता:BHANWARLAL	1. WARD NO. 08,TIBBI,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03.07.2024 को वक्त 05.15 पीएम पर परिवादी श्री मनीष कुमार पुत्र श्री राजकुमार जाति-अरोड़ा उम्र-32 साल निवासी वार्ड नं. 02, मस्जिद के पास, 8 जीजीआर, टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी श्री मनीष कुमार ने श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधिंत एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होने अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त प्रार्थना पत्र मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया, परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय की हस्तलिखित होकर उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी श्री मनीष कुमार ने दरियाफत पर बताया कि मैं कक्षा 10 तक पढ़ालिखा हूं और प्राईवेट कार्य करता हूं, मैने दिनांक 24.09.2019 को पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़ में धोखाधड़ी के संबंध में बतौर पीड़ित मुकदमा नंबर 283/2019 दर्ज करवाया था, जिसमें बाद में आरोपी पक्ष के साथ राजीनामा होने के कारण अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना टिब्बी द्वारा मुकदमा में एफ.आर. अदम बकु (गलतफहमी) नतीजा दिया जाकर एफ.आर. पत्रावली न्यायालय ए.सी.जे.एम. टिब्बी में पेश कर दी गई, आज दिनांक 03.07.2024 को सुबह तकरीबन 10.53 एएम पर मोबाईल नंबर [redacted] से मेरे मोबाईल नंबर [redacted] पर फोन आया तथा कॅाल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं ए.सी.जे.एम. कोर्ट टिब्बी से मोतीलाल बोल रहा हूं आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसकी एफ.आर. पत्रावली कोर्ट में है आप आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट आ जाओ जिस पर मैं आज करीब 11.30 एएम पर कोर्ट ए.सी.जे.एम. टिब्बी पहुंच गया जहां मुझे कॅाल करने वाला श्री मोतीलाल मिला जो मुझे न्यायालय कक्ष में ले गया जहां पर मजिस्ट्रेट साहब व पेशकार ने एफ.आर. के संबंध में मुझसे मेरी सहमती पूछी तथा सहमती बाबत एक प्रार्थना पत्र लिखकर रीडर कक्ष में जाकर देने को कहां जिस पर मैं रीडर कक्ष में आया जहां मोतीलाल कुर्सी पर बैठा था जिसने वहा उपस्थित एक अन्य कोई कर्मचारी के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर मुझे कोर्ट में अन्दर जाकर वापसी में घर जाने से पहले खुद मुझसे मिलकर जाने का कहा, कार्यवाही से फ्री होकर जब मैं मोतीलाल से उनके कमरे में मिला तो उन्होने कहा की तुम कब तक कोर्ट में ऐसे ही चक्कर लगाते रहोगें, मुझे खर्चा पानी के 2000/-रूपये दे दो में तुरंत आपकी एफ.आर. कोर्ट में स्वीकार करवा दूंगा आप को बार-बार कार्ट के चक्कर नही लगाने पड़ेगें ये कहते हुए मुझसे 2000/- रूपये रिश्वत की मांग करी, श्रीमान् जी उक्त मोतीलाल कर्मचारी न्यायालय ए.सी.जे.एम. टिब्बी मुझ से मेरे जायज काम के बदले 2000/-रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसे मैं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं, मेरी श्री मोतीलाल से कोई पहले की रंजिश नही है ना ही मोतीलाल से मेरा कोई पैसो का लेनदेन शेष है, कृपया उचित कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी श्री मनीष कुमार के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी का प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड की फोटोप्रति शामिल पत्रावली की गई। समय 06.30 पीएम पर परिवादी श्री मनीष कुमार को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, परिवादी श्री मनीष कुमार ने बताया की अब कोर्ट बंद हो चुका है मै कल सुबह आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउगां और कल ही टिब्बी न्यायालय में पहुंचकर श्री मोतीलाल से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री मनीष कुमार को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 04.07.2024 को समय 11.10 ए.एम. पर परिवादी श्री मनीष कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। समय 11.40 ए.एम. पर परिवादी श्री मनीष कुमार से ब्युरो के श्री संदीप हैड़कानि. 154 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री मनीष कुमार को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई, जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॅार्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर परिवादी श्री मनीष कुमार व श्री संदीप हैड़कानि0 154 को टिब्बी के लिए रवाना किया। समयः- 02.00 पी.एम. पर श्री संदीप हैड़कानि. 154 ब्यूरो कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व श्री संदीप हैड कानि. ने डिजिटल वाईस रिकॅार्डर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया व बताया कि ब्यूरो कार्यालय से मैं व परिवादी श्री मनीष कुमार रवाना होकर टिब्बी में कोर्ट के पास पहुंचे, फिर मैने डिजिटल वाईस रिकॅार्डर चालू कर परिवादी मनीष कुमार को सुपुर्द किया, फिर परिवादी मनीष कुमार कोर्ट परिसर में चले गये, मैं बाहर गोपनीय रूप से मुकिम हो गया, कुछ देर बाद परिवादी श्री मनीष कुमार कोर्ट

परिसर से बाहर आया व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा, फिर परिवादी मनीष कुमार ने बताया की श्री मोतीलाल ने एफ.आर. पत्रावली में बार-बार चक्कर न लगाने व कोई लफड़ा नहीं होने देने का खर्चा पानी मांगा जिस पर मेरे द्वारा पूछने पर उसने तीन हजार बताया फिर मेरे द्वारा कुछ कम करने का कहने पर दो हजार रूपये लेने हेतु सहमत हुआ, फिर उसने मेरे से मौके पर 500/-रूपये ले लिये ओर 1500/-रूपये कल देने के लिए कहा है उक्त सारी बात को मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है, फिर परिवादी मनीष कुमार ने कहा की आज मुझे जरूरी काम है इसलिए घर जाना जरूरी है, मै कल तक आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा, इस पर श्रीमान् के निर्देषानुसार परिवादी मनीष कुमार को वहीं छोड़कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूं। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सुपुर्दषुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी मनीष कुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई है, आरोपी श्री मोतीलाल द्वारा परिवादी से खर्चापानी के तीन हजार रूपये मांगते हुए दो हजार रूपये लेने हेतु सहमत हुआ है और 500 रूपये लेते हुए 1500 रूपये ओर लेने संबंधी वार्ता की है, उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जायेगी, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा गया। दिनांक 05.07.2024 समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मनीष कुमार ने जरिये वाटसअप काल अवगत करवाया कि आज मुझे जरूरी काम है इसलिए आज मैं आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता मै कल सुबह रिश्वत में दी जाने वाली राषि लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा, इस पर परिवादी श्री मनीष कुमार को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 05.30 पी.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने पर सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्काम हनुमानगढ़ जक्षंन को जरिये दूरभाष दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारीयों को दिनांक 06.07.2024 को सुबह 08.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर भिजवाने का निवेदन किया गया। दिनांक 06.07.2024 समय 09.00 ए.एम. पर परिवादी श्री मनीष कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया, परिवादी श्री मनीष कुमार ने अवगत करवाया की दिनांक 04.07.2024 को मैं व श्री संदीप हैड़कानि. ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर टिब्बी में कोर्ट के पास पहुंचे, फिर श्री संदीप जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया, फिर मैं कोर्ट परिसर में चला गया श्री संदीप जी बाहर ही रूक गये थे, कोर्ट परिसर में मुझे श्री मोतीलाल जी मिले जिन्होने एफ.आर. पत्रावली में बार-बार चक्कर न लगाने व कोई लफड़ा नहीं होने देने का खर्चा पानी मांगा जिस पर मेरे द्वारा पूछने पर उसने तीन हजार बताया फिर मेरे द्वारा कुछ कम करने का कहने पर दो हजार रूपये लेने हेतु सहमत हुआ, फिर उसने मेरे से मौके पर 500/-रूपये ले लिये ओर 1500/-रूपये कल देने के लिए कहा है उक्त सारी बात को मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली थी, फिर बाहर आकर मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री संदीप जी को सुपुर्द कर दिया जिन्होने बंद कर अपने पास रखा और उक्त वार्ता मैने उन्हे बतायी थी, फिर मुझे जरूरी काम हो गया था कल भी मै जरूरी काम की वजह से उपस्थित नहीं हो सका इसलिए आज रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1500/-रूपये लेकर उपस्थित हुआ हूं। समय 09.15 ए.एम. पर कार्यालय सहायक अभियंता, ओ एण्ड़ एम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हनुमानगढ़ के श्री विरेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व श्री पंकज कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री मनीष कुमार ने अवगत करवाया कि मैंने श्री मोतीलाल की उपस्थिति के संबंध में गोपनीय रूप से मालूमात करवाया तो पता चला है कि आज मोतीलाल जी कोर्ट नहीं आये है, इसलिए आज कार्यवाही की कोई संभावना नहीं है, वो जैसे ही मेरे से संपर्क करेगें तो मै आपको अवगत करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री मनीष कुमार को आवश्यक हिदायत रवाना किया गया। समय 11.30 ए.एम. पर कार्यालय सहायक अभियंता, ओ एण्ड़ एम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हनुमानगढ़ के श्री विरेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व श्री पंकज कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 10.07.2024 समय 12.44 पीएम पर परिवादी श्री मनीष कुमार ने जरिये वाटसअप काल संपर्क किया गया और उसने बताया कि श्री मोतीलाल जी जैसे ही मेरे से रिश्वत हेतु संपर्क करेगें मै आपसे संपर्क कर लूंगा। दिनांक 12.07.2024 समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री मनीष कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व मन् पुलिस निरीक्षक का एक प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि श्री मोतीलाल जी मेरे से अब रिश्वत नहीं लेगें वो मेरे से मिले थे और कहा की तुम तो मेरे मोहल्ले के ही हो और मेरे मामा का नाम लेते हुए कहा की आप उनके भांजे हो तो आपका काम मैं ऐसे ही करवा दूंगा, इसलिए अब आगे की ट्रेप कार्यवाही होना संभव नहीं हैं, इसलिए अब तक हुई कार्यवाही पर श्री मोतीलाल जी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी के प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 04.07.2024 को हुए रिश्वत मांग सत्यापन से सबंधित डिजिटल वाईस रिकार्डर मेरे पास सुरक्षित है जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी है इसलिए स्वतंत्र गवाह को तलब किया जाकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। इसलिए स्वतंत्र गवाह को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु जरिये दूरभाष संपर्क किया गया। समय 03.20 पी.एम. पर कार्यालय सहायक अभियंता, ओ एण्ड़ एम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हनुमानगढ़ के श्री विरेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व श्री पंकज कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 04.35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह को बुलाकर परिवादी श्री मनीष कुमार के प्रार्थना पत्र से संबंधित तथ्यों व उनके द्वारा करवाये गये गोपनीय सत्यापन दिनांक 04.07.2024 के तथ्यों से अवगत करवाया गया, फिर मन् अनुसंधान अधिकारी के पास दिनांक 04.07.2024 को हुई

रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटाप में लगाकर रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 07.30 पीएम पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकार्डर में दिनांक 04.07.2024 को रिकार्ड वार्ता की एक आडियो फाईल है, उक्त रिकार्डवार्ता के लिए तीन खाली नई डीवीडी मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटाप के जरिये मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त वार्ता को तीन डीवीडी में बारी बारी से डाउनलोड किया तथा उनमें वार्ता डाउनलोड होना सुनिश्चित होने पर उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2, मार्क ए-3 दिया गया, उक्त डी.वी.डी. मार्क ए-1, ए-2 ,ए-3 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-8bbb5775cade246c028ae5d734ce373d5135312f है को तीनों डी.वी.डी. पर अंकित किया गया। इनमें से दो डीवीडी मार्क ए-1 व मार्क ए-2 पर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त दो डीवीडी को प्लास्टिक कवर में अलग-अलग डालकर उक्त दो डीवीडी को कवर सहित कपड़े की थैली में अलग-अलग डालकर थैलीयों को सीलड किया जाकर मार्क ए-1 व मार्क ए-2 अंकित कर हाजरीन के थैलीयों पर हस्ताक्षर करवाये गये व थैलीयों पर हैश वैल्यू अंकित की गई एवं तीसरी डीवीडी मार्क ए-3 को एक प्लास्टिक कवर में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 07.40 पीएम पर परिवादी के प्रार्थना पत्र एंव उसके कथनानुसार इस मामला में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं होने से कार्यवाही बंद की गई। आमदा परिवादी व स्वंतत्र गवाह को जाने की ईजाजत दी गई। इस प्रकार परिवादी श्री मनीष कुमार पुत्र श्री राजकुमार जाति-अरोड़ा उम्र-32 साल निवासी वार्ड नं. 02, मस्जिद के पास, 8 जीजीआर, टिब्बी जिला हनुमानगढ़ के द्वारा दिनांक 24.09.2019 को पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़ में धोखाधड़ी के संबंध में बतौर पीड़ित मुकदमा नंबर 283/2019 दर्ज करवाया था, जिसमें बाद में आरोपी पक्ष के साथ राजीनामा होने के कारण अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना टिब्बी द्वारा मुकदमा में एफ.आर. अदम बकु (गलतफहमी) नतीजा दिया जाकर एफ.आर. पत्रावली न्यायालय ए.सी.जे.एम. टिब्बी में पेश कर दी गई, दिनांक 03.07.2024 को सुबह तकरीबन 10.53 एएम पर मोबाईल नंबर [redacted] से परिवादी के मोबाईल नंबर [redacted] पर फोन आया तथा काल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं ए.सी.जे.एम. कोर्ट टिब्बी से मोतीलाल बोल रहा हूं आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसकी एफ.आर. पत्रावली कोर्ट में है आप आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट आ जाओ जिस पर परिवादी दिनांक 03.07.2024 को समय करीब 11.30 एएम पर कोर्ट ए.सी.जे.एम. टिब्बी पहुंच गया जहां परिवादी को काल करने वाला श्री मोतीलाल मिला जो परिवादी श्री मनीष कुमार को न्यायालय कक्ष में ले गया जहां पर मजिस्ट्रेट साहब व पेशकार ने एफ.आर. के संबंध में परिवादी श्री मनीष कुमार से उसकी सहमती पूछी तथा सहमती बाबत एक प्रार्थना पत्र लिखकर रीडर कक्ष में जाकर देने को कहां जिस पर परिवादी श्री मनीष कुमार रीडर कक्ष में आया जहां मोतीलाल कुर्सी पर बैठा था जिसने वहा उपस्थित एक अन्य कोई कर्मचारी के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर मुझे कोर्ट में अन्दर जाकर वापसी में घर जाने से पहले खुद मुझसे मिलकर जाने का कहा, कार्यवाही से फ्री होकर जब परिवादी मोतीलाल से उनके कमरे में मिला तो उन्होने कहा की तुम कब तक कोर्ट में ऐसे ही चक्कर लगाते रहोगें, मुझे खर्चा पानी के 2000/-रूपये दे दो में तुरंत आपकी एफ.आर. कोर्ट में स्वीकार करवा दूंगा आप को बार-बार कार्ट के चक्कर नही लगाने पड़ेगें ये कहते हुए मुझसे 2000/-रूपये रिश्वत की मांग करी, जिस पर परिवादी द्वारा दिनांक 03.07.2024 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 04.07.2024 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो दौराने सत्यापन आरोपी मोतीलाल कहता है कि "कि खर्चो पानी तो कर जाओ" परिवादी मनीष कहता है कि "कितना कर दू" आरोपी मोतीलाल कहता है कि "दे दे यार....मनीष" आरोपी श्री मोतीलाल कहता है कि "अब थारे कन्ने कितना है पहले बताओ, फेर अन्दर बात करगे आउ पेशकारजी हूं, लफड़ो ही मेट देवा, मौके पर थारै कन्ने किता पिसा है" परिवादी मनीष कुमार कहता है कि " नहीं थे मनै बताओ, हिसाब ही कर देउ, किता गो के हिसाब सिस्टम बैठ सके" दौराने रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी श्री मोतीलाल कहता है कि " चल मनीष तीन हजार दे देई, थारो लफड़ो....." परिवादी मनीष कहता है कि " थे जायज कराओ" आरोपी मोतीलाल कहता है कि " पांच सौ कम दे देई" परिवादी मनीष कहता है कि " थानै मैं दो हजार रूपया दे दूं" आरोपी मोतीलाल कहता है कि " चल दे देई " परिवादी कहता है कि " ठीक है" आरोपी कहता है "......मनीष की है " परिवादी मनीष कहता है कि " हां मनीष की है, आ लो पांच सौ रूपया, पन्द्रह सौ थानै सुबह पकडा दूंगा या आज शाम न पकड़ा दूंगा, ठीक है" आरोपी मोतीलाल कहता है कि "ठीक है" आदि रिश्वत मांगने के तथ्य रिकार्ड पाये गये, फिर दिनांक 06.07.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया लेकिन आरोपी मोतीलाल उस दिन न्यायालय में उपस्थित नही होने की सूचना प्राप्त होने पर उस दिन ट्रेप कार्यवाही संपन्न नही हो सकी। फिर दिनांक 12.07.2024 को परिवादी श्री मनीष कुमार ने एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर कहा कि श्री मोतीलाल जी मेरे से अब रिश्वत नहीं लेगें वो मेरे से मिले थे और कहा की तुम तो मेरे मोहल्ले के ही हो और मेरे मामा का नाम लेते हुए कहा की आप उनके भांजे हो तो आपका काम मैं ऐसे ही करवा दूंगा, इसलिए अब आगे की ट्रेप कार्यवाही होना संभव नहीं हैं, इसलिए अब तक हुई कार्यवाही पर श्री मोतीलाल जी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करें। इस प्रकार श्री मोतीलाल तत्कालीन लिपिक ग्रेड द्वितीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिब्बी हाल न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,भादरा (अभिलेखालय भादरा) द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण करना एंव परिवादी श्री मनीष कुमार से उसके द्वारा दर्ज करवाये

गये मुकदमें में एफ.आर. कोर्ट में स्वीकार करवाने व बार-बार कार्ट के चक्कर नही लगाने की एवज में 3000/-रूपये रिश्वत की मांग करने व परिवादी द्वारा कम करने की विनती करने पर 2000/-रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमत होकर वक्त सत्यापन 500/-रूपये प्राप्त कर शेष 1500/-रूपये बाद में लेने हेतु सहमत होना पाया गया। अतः आरोपी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेषक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (राजेन्द्र सिह) पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिह,पुलिस निरीक्षक,भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मोतीलाल पुत्र श्री भवंरलाल, उम्र-52 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 08, टिब्बी जिला हनुमानगढ़ तत्कालीन लिपिक ग्रेड द्वितीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिब्बी हाल न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,भादरा (अभिलेखालय भादरा) के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री शालू विश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 939 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1307-10 दिनांक 28-10-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर। 2-माननीय जिला एव सेशन न्यायालय, हनुमानगढ। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ। उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** SHALU BISHNOI **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/10/2024 19:43:32

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/09/1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)